राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 69/2024
मल्ला सिंह व अन्य बनाम शंकर सिंह व अन्य
किस्म मुकदमा : अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.03.2026	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की मूल अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम मदारपुरा, तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजियात खाता संख्या नया व पुराना 282 के खसरा संख्या 101 रकबा 0.07, खसरा संख्या 102 रकबा 0.07, खसरा संख्या 103 रकबा 0.08, खसरा संख्या 1619 रकबा 0.11, खसरा संख्या 368 रकबा 0.01, खसरा संख्या 699 रकबा 0.05, खसरा संख्या 79 रकबा 0.10, खसरा संख्या 82 रकबा 0.10, खसरा संख्या 91 रकबा 0.15, खसरा संख्या 93 रकबा 0.10, खसरा संख्या 98 रकबा 0.03, खसरा संख्या 98/2140 रकबा 0.01 एवं खाता संख्या 536 पुराना 282 के खसरा संख्या 659 रकबा 0.08 हैक्टर भूमि बाबत इसी उनवान का वाद बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत पेश कर रखा है। उक्त वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2024 को दर्ज किया जाकर उभयपक्ष को को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उनके द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप दिनांक 05.08.2025 को इनका जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। इसके उपरान्त बहस हेतु पर्याप्त समय दिया जाने के पश्चात भी वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। अंतिम बहस हेतु निश्चित दिवस को भी वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। उपरोक्त विवेचन एवं प्रार्थना पत्र तथ्यों अनुसार प्रस्तुत जमाबन्दी के आधार पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त आराजियात के रिकॉर्डेड संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थीगण अपने हक व हिस्से की आराजियात का वाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करवाना चाहते हैं। इस हेतु इन्होने पृथक से वाद पेश कर रखा है, जो विचाराधीन है। वाद के निर्णय तक विवादित आराजियात खुर्द बुर्द होती है या राजस्व रिकॉर्ड व	

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर

मौके पर परिवर्तन होता है तो पक्षकारान के मध्य विवाद व वाद बाहुल्यता होगी। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होने पर कोई भी ऐतराज, उज या जवाब पेश नहीं किया एवं ना वरवक्त बहस प्रार्थना पत्र वे उपस्थित हुए। फलस्वरूप प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 30.07.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की वाद के अन्तिम निर्णय तक पुष्टि की जाकर प्रार्थना पत्र निर्णित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं संग्रह भण्डार हो।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0)
अजमेर

सहायक कलक्टर (मु.), अजमेर